कार्यालय अलीगढ विकास प्राधिकरण, अलीगढ।

आवंटन/निरस्तीकरण/रिफण्ड की प्रक्रिया :–

1– आवंटन

प्राधिकरण द्वारा रिक्त सम्पत्तियों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सम्पत्ति के आवंटन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि नियत कर आवेदकों को समाचार पत्रों एवं पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करने के उपरान्त नियत तिथि को उपलब्ध सम्पत्ति के सापेक्ष पंजीकृत आवेदकों के मध्य लाटरी ड्रा के माध्यम से सम्पत्ति का आवंटन किये जाने का प्राविधान है।

2– निरस्तीकरण

आवंटियों के द्वारा देय किस्तों आदि की धनराशि समयान्तर्गत जमा न करने की दशा में नोटिस जारी किये जाते हैं। इसके बावजूद भी आवंटी द्वारा देय किस्तों आदि की बकाया धनराशि जमा न करने पर अन्तिम नोटिस भेज कर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने का प्राविधान है।

3– रिफण्ड

लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों को पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियम एवं शर्तो के आधार पर बिना ब्याज/यदि ब्याज देय है तो ब्याज सहित धनराशि उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नैफ्ट के माध्यम से जमा धनराशि वापस कर दी जाती है।

सम्पत्ति आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटी द्वारा समर्पण करने एवं देय धनराशि का भुगतान न करने की दशा में पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियम एवं शर्तो के आधार पर निर्धारित धनराशि की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के आवंटी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नैफ्ट के माध्यम से वापस करने का प्राविधान है।

25/10/18

सतीश कुमार
लिपिक

25/10/18
P.O.

25/10/18